फा. संख्या 6/17/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

जांच शुरूआत अधिसूचना

मामला संख्याः एडी (ओआई) - 16/2023

दिनांकः 30 सितम्बर 2023

विषय: चीन जन. गण., कोरिया गण., मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड में मूलतः अथवा वहां से निर्यातित "पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल" के आयात के संबध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. संख्या 6/17/2023-डीजीटीआर - मेसर्स केमप्लास्ट सनमार लिमिटेड (इसके बाद 'आवेदकों' के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित किए गए लेखों पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और 1995, समय-समय पर संशोधित (इसके बाद 'एडी नियम' के रूप में संदर्भित) के अनुसार चीन जन.गण., कोरिया गण., मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड (बाद में 'संबद्ध देशो के रूप में संदर्भित) में उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए गए "पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल" (बाद में 'विषय वस्तुओं' के रूप में संदर्भित) के आयात पर पाटन रोधी जांच शुरू करने की मांग करता है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबंधित देशों से उत्पन्न या निर्यात किए गए कथित पाटित किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को सामग्री को नुकसान हो रहा है और संबंधित देशों से विषय वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद 'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट राल' है जिसे इमल्शन पीवीसी राल के रूप में भी जाना जाता है।

4. पीवीसी पेस्ट राल का उत्पादन विनाइल क्लोराइड मोनोमर का उपयोग करके किया जाता है और आमतौर पर सफेद / ऑफ-व्हाइट पाउडर के रूप में बेचा जाता है। विचाराधीन उत्पाद का उपयोग मुख्य रूप से कृत्रिम चमड़े के निर्माण के लिए किया जाता है और उत्पाद के अन्य उपयोग रेक्सेन, लेपित कपड़े, तिरपाल, कन्वेयर बेल्टिंग, खिलौने, मोटर वाहन सीलेंट, चिपकने वाला और दस्ताने के निर्माण में होते हैं।

5. निम्नलिखित उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है

   क. 60K से कम K मान के साथ विचाराधीन उत्पाद

   ख. पीवीसी सम्मिश्रण राल

   ग. पीवीसी पेस्ट राल के सह-पॉलिमर।

   घ. बैटरी विभाजक रेजिन

6. विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ वर्गीकरण के उपशीर्षक 390410 के तहत सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के तहत वर्गीकृत किया गया है और 39041010 के तहत एक समर्पित वर्गीकरण है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और प्रस्तावित जांच के लिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

7. वर्तमान जांच के पक्षकार पीयूसी पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और प्राधिकरण के समक्ष दायर आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार के 15 दिनों के भीतर पीसीएन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं, जैसा कि इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 29 में दर्शाया गया है।

<u>ख. समान वस्तु</u>

8. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा उत्पादित विषय वस्तुएं और विषय देशों से आयातित विषय वस्तुएं वस्तुओं की तरह हैं। विषय देशों से निर्यात की जाने वाली विषय वस्तुओं और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित और विषय देशों से आयातित डिजिटल प्लेटें भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और टैरिफ वर्गीकरण जैसे आवश्यक उत्पाद विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का उपयोग कर सकते हैं और परस्पर उपयोग कर रहे हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से अधीन हैं और इसलिए नियमों के तहत 'जैसे लेख' के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए, याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित विषय वस्तुओं को विषय देशों से आयात किए जा रहे विषय वस्तुओं के लिए 'जैसे लेख' के रूप में माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

9. आवेदक के अलावा भारत में एक अन्य निर्माता है यानी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसने आवेदक द्वारा दायर तत्काल आवेदन का समर्थन किया है। आवेदक और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में विचाराधीन उत्पाद के केवल दो उत्पादक हैं। जैसा कि प्रस्तुत किया गया है उनका उत्पादन भारत में कुल घरेलू उत्पादन का 100% है। आवेदक ने आगे कहा है कि उसने संबंधित देशों से पीयूसी का आयात नहीं किया है और यह संबंधित देशों में किसी भी निर्यातक या भारत में किसी भी आयातक से संबंधित नहीं है।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक एडी नियमों के नियम 2 (बी) के अर्थ के भीतर 'घरेलू उद्योग' का गठन करता है और आवेदन एडी नियमों के नियम 5 (3) के संदर्भ में खड़े होने के मानदंडों को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

11. वर्तमान जांच के लिए विषय देश चीन जन. गण., कोरिया गण., मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड है।

ड जांच की अवधि

12. वर्तमान समीक्षा जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2022 से मार्च 2023 (12 महीने) तक है। क्षति जांच की अवधि 1 अप्रैल 2019 - 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022 और पीओआई तक है।

च. प्रक्रिया

13. इस जांच में पाटन रोधी नियमों के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

छ. कथित पाटन के लिए आधार

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और चीन जन. गण के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि विषय वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है। जब तक चीन जन. गण के उत्पादक यह नहीं दिखाते हैं कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है तब तक उनके सामान्य मूल्य को पाटनरोधी नियम, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

15. इसलिए जांच शुरू करने के उद्देश्य से आवेदक की उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया गया है जो उचित लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों के साथ विधिवत समायोजित है।

<u>कोरिया गण., मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड सामान्य मूल्य</u>

16. आवेदक ने आवेदक के उत्पादन की लागत के आधार पर विषय देशों के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने का प्रस्ताव दिया, विषय देशों में लागतों को प्रतिबिंबित करने के लिए सामग्री, उपयोगिताओं और श्रम के लिए विधिवत समायोजित किया।

17. प्राधिकरण ने प्रथम दृष्टया कोरिया गण., मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्यों को बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और उचित मुनाफे के लिए विधिवत समायोजित आवेदक की उत्पादन लागत के आधार पर निर्धारित किया है।

निर्यात मूल्य

18. डीजीसीआईएस द्वारा उपलब्ध कराए गए लेनदेन-वार आयात आंकड़ों पर विचार करके संबंधित देशों से विषय वस्तुओं के निर्यात मूल्य का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद प्राधिकरण ने निवल निर्यात मूल्य पर पहुंचने के लिए आवश्यक समायोजन किए हैं।

पाटन मार्जिन

19. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना एक्स-फैक्ट्री स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया स्थापित करता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद को संबंधित देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

<u>ज. क्षति और कारणात्मक संबद्ध</u>

20. आवेदक ने पाटित किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को हुए नुकसान के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किए हैं। विषय देशों से विषय आयात की मात्रा पूर्ण और साथ ही सापेक्ष रूप से महत्वपूर्ण है। आवेदक का तर्क है कि विषय आयात का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण नकद लाभ, पीबीआईटी और आरओसीई में बहुत महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। समग्र रूप से विषय देशों से कीमतों में कटौती

सकारात्मक है। पाटित किए गए आयातों के कारण कीमतों में कमी और मंदी घरेलू उद्योग को पूरी लागत वसूलने और उचित वापसी दर प्राप्त करने के लिए अपनी कीमतें बढ़ाने से रोक रही है। पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के इन्वेंट्री स्तर में भी वृद्धि हुई है।

झ. पाटन रोधी जांच की शुरुआत

21. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबंधित देशों में उत्पन्न या निर्यात किए गए उत्पाद के पाटन के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, विषय वस्तुओं की कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी नुकसान और इस तरह की क्षति और पाटित किए गए आयात के बीच कारण संबंध और अधिनियम की धारा 9 ए के अनुसार जिसे एडी नियमों के नियम 5 के साथ पढ़ा जाता है, प्राधिकरण इसके द्वारा संबंधित देशों में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटन रोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने के लिए एक पाटन रोधी जांच शुरू करता है। जो यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

22. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पतों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in पर तथा उनकी एक प्रति adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को भेजी जानी चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो ।

23. संबंधित देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं, जो विषय वस्तुओं से जुड़े होने के लिए जाने जाते हैं, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित फॉर्म और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

24. कोई अन्य इच्छुक पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकरण द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिसों द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से इस दीक्षा अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर वर्तमान जांच से संबंधित एक प्रस्तुति दे सकता है।

25. प्राधिकरण के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पक्षों को इसका एक गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

26. इच्छुक पार्टियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) को नियमित रूप से देखते रहें और जानकारी के साथ-साथ आगे की जाँच पड़ताल प्रक्रियाओं से अवगत रहें।

ट. समय सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पतों dd11-dgtr@gov.in और dd16-dgtr@gov.in तथा adg14-dgtr@gov.in और adv13-dgtr@gov.in को एक प्रति के साथ प्राधिकारी द्वारा आवेदक के आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण को परिचालित किए जाने अथवा एडी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी एडी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

28. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे तत्काल मामले में अपनी रुचि (हित की प्रकृति सहित) बताएं और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।

29. जहां कोई इच्छुक पक्ष प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है उसे एडी नियम, 1995 के नियम 6(4) के संदर्भ में ऐसे विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

30. जहां वर्तमान में कोई पक्षकार गोपनीय अनुरोध करता है या प्राधिकारी के समक्षगोपनीय आधार पर सूचना देता है, वहां उसे एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में

प्राधिकारी द्वारा जारी की गई संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

31. ऐसे अनुरोध पर प्रत्येक पृष्ठ पर 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।

32. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो प्रकृति से, गोपनीय और / या अन्य जानकारी है, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय के रूप में दावा करता है। ऐसी जानकारी के लिए जिसे प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

33. हितबद्धपक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को अनिवार्य रूप से गोपनीय अंश की अनुकृति होना चाहिए जिसमें "गोपनीय सूचना" अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना संभव न हो) होनी चाहिए और ऐसी सूचना को जिस सूचना के गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस पर निर्भर रहते हुए उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत होना चाहिए।

34. अगोपनीयसारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की पर्याप्त तर्कसंगत समझ बन सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय आधार पर सूचना देने वाला पक्षकार इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के स्तर तक एडी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसे कारणों को पर्याप्त और पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

35. इच्छुक पक्ष इस जांच शुरूआत अधिसूचना के पैराग्राफ 27 में दर्शाए गए आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण के संचलन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

36. नियमों के नियम 7 के अनुसार सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण या पर्याप्त और पर्याप्त कारण विवरण के बिना किया गया कोई भी प्रस्तुतीकरण, और गोपनीयता दावे पर प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

37. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध नहीं आवश्यक है या यदि जानकारी का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।

38. प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को संतुष्ट होने और स्वीकार करने पर प्राधिकरण ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी भी पार्टी को इसका खुलासा नहीं करेगा।

39. पंजीकृत इच्छुक दलों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी जिसमें उन सभी को अनुरोध किया जाएगा कि वे अपनी प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण और अन्य जानकारी को अन्य सभी इच्छुक पक्षों को ईमेल करें।

ड. असहयोग

40. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस प्रारंभिक अधिसूचना में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर या उचित अवधि के भीतर या अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या बाद में अलग-अलग संचार के माध्यम से प्रदान की गई समय अवधि में आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकरण ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है। जैसा कि यह उचित लगता है।

अनं

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी